न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या– 36 / 2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0रा0अ0

उदालाल पुत्र कूल जी जाति भील आयु बालिग निवासी झरझनी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

................प्रार्थी

विरूद्ध

1. गंगाराम भील पिता स्व0 प्रेमराज जाति भील उम्र बालिग निवासी वार्ड नम्बर 08 झरझनी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :– **श्री अनिल शर्मा।**

दिनांकः– 28 / 03 / 2022

–:आदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया हैं कि मौजा ग्राम बना का खेडा पटवार हल्का झरझनी तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 02 आराजी न. 72, 123 / 59, 124 / 61, 125 / 60 कुल किता 04 कुल रकबा 2.3800 है0 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 72, 123 / 59, 124 / 61, 125 / 60 के पड़ौसी खातेदार आये दिन मेड व कब्जे को लेकर तथा घास फुस आदि को काटने पर विवाद होता रहता हैं। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर दिनांक 22.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 ने न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत कर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की व पत्थरगढ़ी करने हेतु सहमति व्यक्त की। पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनांक 08.03.2022 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा ग्राम बना का खेडा पटवार हल्का झरझनी तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 02 आराजी न. 72, 123 / 59, 124 / 61, 125 / 60 कुल किता 04 कुल रकबा 2.3800 है0 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगड़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000 / –रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ